




Madhya Pradesh  
Real Estate  
Regulatory Authority



मध्यप्रदेश  
भू-संपदा  
विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष -0755-2556760  
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email Id:- secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप-ग, नियम 6 (1) एवं 6 (2)

## भू-संपदा परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिए दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक: **P-IND-25-5906**

परियोजना का नाम: **EXOTICA PREMIUM**

परियोजना का पता: **LAND SURVEY NO. 248/1/3, 248/2, 248/3, 249/1, 249/2, 250/2, 250/3, 251/2, 252/2, 256/3, 256/4, 257/1/1, 257/2/1, 258/1/1, 258/2, 259/1/1/3, 259/1/2/3, 264/2/1/1 AND 264/2/1/3 TOTAL ADMEASURING 8.934 HECTARES (TOTAL LAND AREA) OUT OF WHICH 8.763 HECT AREA APPLIED FOR PERMISSION (8.648 HECT NET PLANNING AREA), VILLAGE PANOD, TEHSIL KANADIYA AND DISTRICT INDORE (MP)**

तहसील: **KANADIA**

जिला: **INDORE**

राज्य: **MADHYA PRADESH**

1. फर्म/सोसाईटी/कंपनी/ सक्षम प्राधिकारी की दशा में: **AGARWAL REAL CITY PRIVATE LIMITED**

2. सह-सम्प्रवर्तक:

3. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:-

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा- 4(2)(L)(D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- परियोजना प्रारंभ दिनांक **01-Aug-2025** तथा पूर्णता दिनांक **31-Jul-2028** तक की होगी, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-6 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार विस्तारित न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्रों में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

4. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

दिनांक:  
स्थान: **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण